न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 62/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. मांगुसिंह पुत्र तेजसिंह		1. शिम्भूसिंह पुत्र तेजसिंह
2. उम्मेदसिंह पुत्र तेजसिंह		2. जब्बरसिंह पुत्र झूंझारसिंह
जाति–राजपूत,निवासी–निम्बेड़ाखुर्द		3. बुधसिंह पुत्र झूंझारसिंह
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		4. श्यामकंवर पत्नि मोहबतसिंह
		5. अजमालसिंह पुत्र दलपतसिंह
		6. विक्रमसिंह पुत्र दलपतसिंह
		7. सरलाकंवर पत्नि दलपतसिंह
		8. फुलाकंवर पुत्री दलपतसिंह
		9. भंवरसिंह पुत्र फौजसिंह
		10. अर्जुनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
		11. रतनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
		12. शंकरकंवर पत्नि रघुवीरसिंह
		जातियान–राजपूत, निम्बेड़ाखुर्द
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.28/02/2014**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 25/10/2017**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत वृक्ष वंशावली से स्पष्ट हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 तेजसिंह के वारिसान हैं तथा वादीगण के प्रतिवादी संख्या 02, 03 के बड़े पिता के लडके हैं। लक्ष्मणसिंह के वारिसान भगवतसिंह, गोरधनसिंह व बक्तावरसिंह हुए तथा भगवतसिंह के पुत्रगण पाबुसिंह (लाऔलाद फौत), मोहबतसिंह, केसरसिंह व दलपतसिंह हुए। मोहबतसिंह की पत्नि श्यामकंवर हैं। केसरसिंह (लाऔलाद फौत), एवं दलपतसिंह की पत्नि सरलाकंवर, पुत्री फुलाकंवर एवं पुत्रगण अजमानसिंह व विक्रमसिंह हुए। गोरधनसिंह का पुत्र फौजसिंह हुए तथा फौजसिंह के वारिसान भंवरसिंह व रघुवीरसिंह हुए तथा रघुवीरसिंह की पत्नि शंकरकंवर व पुत्रगण अर्जुनसिंह व रतनसिंह हुए तथा बक्तावरसिंह के पुत्रगण झूंझारसिंह व तेजसिंह हुए तथा झूंझारसिंह के पुत्रगण जब्बरसिंह व बुधसिंह हुए तथा तेजसिंह के पुत्रगण शिम्भूसिंह, मांगूसिंह व उम्मेदसिंह हुए। सरहद मौजा–निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 100 रकबा 20–10 बीघा किस्म चाही प्रथम प्रतिवादी संख्या 03 से बारह की खातेदारी की कृषि भूमि जमाबन्दी में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दर्ज हैं, जो रोंग इन्द्राज हैं तथा काबिल दुरूस्त के हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 की पेश की हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में संवत् 2017 से 2020 की जमाबन्दी में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता के नाम इन्द्राज हैं। परन्तु संवत् 2021 से 2024 की जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता तेजसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पिता झूंझारसिंह का नाम रेवेन्यू एजेन्सी की सद्भाविक भूल से हटा दिया गया, जो वर्तमान जमाबन्दी तक दर्ज नहीं हैं। जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 व 2024-2024 की पेश की हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक आराजी हैं। जिसमें हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् वादीगण का भी माफिक हिस्से अनुसार कानूनी हक व अधिकार बनता हैं। यदि वादीगण का नाम पैतृक आराजी में दर्ज नहीं होता हैं, तो वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम रहना पड़ेगा, असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। वादीगण माफिक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते हैं। वादीगण को अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने पर राजस्व रेकर्ड देखने पर अपना नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई। तब पटवारी हल्का-टूंकड़ा से नकल प्राप्त की तथा वादीगण ने अपना नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 24/02/2014 को कहा तो स्पष्ट ईन्कार हुए इतना ही नहीं प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने का गलत फायदा उठाकर उक्त भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने की व वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने तथा कब्जे में दखलन्दाजी करने की ऐलानिया धमकी दी। तब वादीगण ने उक्त वाद-पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को बतौर वादीगण पक्षकार बनने के लिये कहा तो उन्होंने कोई रूचि नहीं ली। तब उन्हें इस वाद-पत्र में बतौर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रतिवादी पक्षकार बनाया हैं। बिनायवाद दिनांक 24/02/2014 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपना नाम दर्ज करवाने का कहने पर स्पष्ट ईन्कार होना व उक्त भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने एवं कब्जे से बेदखल करने व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की धमकी देने पर बमुकाम-निम्बेड़ाखुर्द, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 बावजूद तामिली / सचूना के अनुपस्थित रहने से दिनांक 16/11/2014 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 9 बावजूद के नोटिस के तामील उपस्थित होने से उनके विरूद्ध दिनांक 14/01/16 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 10 से 12 को जरिए रजिस्टर्ड तलब किया गया। इनके तामील होने बावजूद उपस्थित होने से दिनांक 18/09/17 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शहादत से वादी मांगूसिंह के बयान कलमबद्ध किये गये। शहादत बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस को समायत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने वादपत्र में वंशावली पेश की गई हैं। लक्ष्मणसिंह की वंशावली अनुसार बक्तावरसिंह के पुत्र, पौत्र का विवादग्रस्त जमीन में नहीं होने से वाद पत्र पेश किया गया। मौजा-टूंकड़ा में खसरा नम्बर 100 रकबा 20-10 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

किस्म चाही प्रथम में जमाबन्दी में रोंग इन्द्राज तथा काबिल दुरस्त के हैं। खतौनी ग्राम–निम्बेड़ाखुर्द, तहसील–जैतारण संवत् 2011–2030 एवं जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020, जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2021–2024 एवं जमाबन्दी संवत् 2066–2069 का गहनता से अवलोकन किया गया। वादीगण संख्या 01 व 02 तथा प्रति0 संख्या 01 के पिता तेजसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पिता झुझारसिंह का नाम रेवेन्यू एजेन्सी की सद्भाविक भूल से हटा दिया गया, जो वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज नहीं हैं। शहादत से प्रमाणित होता हैं कि वादीगण का नाम दर्ज नहीं हैं। वाद पत्र में सभी तथ्यों को स्वीकार करना उचित समझते हैं। वादीगण को प्रति0 संख्या 4 से 12 के साथ उक्त खसरा नम्बर 100 रकबा 20–10 बीघा में खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निम्बेड़ाखुर्द, पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में खसरा नम्बर 100 रकबा 20–10 बीघा किस्म चाही प्रथम में प्रतिवादी संख्या 04 से 12 के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **25/10/2017** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)